ऑन लाईन नं. RCMS 2022/239

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0
अपील इंतकाल प्रकरण सं0 31 / 2022

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 टी.के.डब्ल्यू, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर । निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 13, चक 8 टी.के.डब्ल्यू तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत ताखरांवाली पंचायत समिति सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत ताखरांवाली दिनांकित 21.12.2019, जिसके द्वारा विधि विरूद्व रूप से खाली भूखण्ड को, पुराने कब्जे के आधार पर बिना अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के सम्बन्ध मे जॉच किये, नियमन के आधार पर पट्टा कमांक 23 भूखण्ड संख्या एच/10 के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष में उसे व्यक्तिगत तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से जारी किया गया को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1

:: आदेश :: दिनांक: 27.10.2023

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि "

1. यह कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी ग्राम पंचायत ताखरांवाली का स्थायी निवासी है और पंचायत का करदाता है जिस कारण निगरानीकर्ता वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने मे सक्षम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि गैर-निगरानीकर्ता संख्या 2/सरपंच, ग्राम पंचायत ताखरांवाली, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा भूखण्ड संख्या एच-10, साईज 45x60 फुट का पट्टा संख्या 23 के रूप में 30 वर्ष पुराने आवासीय रिहायशी मकान में अप्रार्थी संख्या 1 का निवास करना दर्शाकर उसे नियमन के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2019 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या-एच/10 के रूप में जारी कर दिया गया जो सर्वथा विधि विरूद्व, पंचायती राज अधिनियम में अंकित नियमों के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

विपरीत होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा कमांक संख्या 23 दिनांकित 21.12.2019 सलंग्न निगरानी है।

2. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत ताखरांवाली, पंचायत समिति सादुलशहर द्वारा निगरानी में दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध रूप से खाली भूखण्ड साईज 45x60 फीट, का नियमन कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या–एच/10 के रूप में दिनांक 21.12.2019 को जारी कर दिया गया। उक्त खाली भूखण्ड पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता का काफी लम्बे समय से कब्जा था, परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर तत्कालीन सरपंच से सॉठ–गॉठ कर, उक्त खाली भूखण्ड का पट्टा अपने नाम से विधिविरूद्व रूप से 30 वर्षो से कब्जा दर्शोते हुए उस पर अपना आवासीय निवास होना अंकित कर पट्टा जारी करवा लिया गया जबकि गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का ना तो उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा रहा एव ना ही 30 वर्षो पुराना मकान निर्मित है तथा ना ही वह ग्राम 8 टी.के.डब्ल्यू. का स्थाई निवासी था। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 23 जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधिविरूद्व रूप से उसे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने हेतु की गई है, चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 अपना 30 वर्ष पुराना कब्जा बता कर उस पर अपना रिहायशी मकान निर्मित होना दिखा रहा है, उक्त भूखण्ड सर्वप्रथम तो खाली भूखण्ड है तथा उस पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा ना होकर निगरानीकर्ता का लगभग 30 वर्षो से निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 की धारा 141 से 160 की अनदेखी कर पट्टा संख्या 23, दिनांक 21.12.2019 का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिविरूद्व रूप से जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर अपना 30 वर्षो से पुराना कब्जा दर्शाकर उक्त अहाता के सम्बन्ध में पट्टा जारी किये जाने के लिए तत्कालीन सरपंच , ग्राम पंचातय, ताखरावाली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अहाता का नियमन के रूप में पट्टा अपने पक्ष में विधिविरूद्व रूप से जारी करवा लिया गया जबकि अप्रार्थी के द्वारा ना तो 30 वर्ष पुराने मकान निर्मित कर रिहायश करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य स्वरूप वोटर लिस्ट, उक्त मकान का विधुत बिल एवं प्रश्नगत भूखण्ड में निर्मित मकान की फोटो इत्यादि प्रस्तुत की गई जिस कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर 30 वर्ष पूर्व कब्जा अप्रार्थी का होना अपने आप में ही असत्य साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे के अन्तराल के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट सम्बन्धित वार्ड पंच से प्राप्त नहीं की गई तथा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्ररतुत मिथ्या कथनों के आधार पर, अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उससे मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करवा, खाली

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

भूखण्ड पर मकान निर्मित दर्शाकर कर नियमन कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में पट्टा संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच-10 के रूप में जारी कर दिया गया जो विधिविरूद्व आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि विधिनुसार नियमन की कार्यवाही किसी ग्राम पंचायत द्वारा केवल तभी की जा सकती है जब किसी भूखण्ड पर किसी व्यक्ति का 50 वर्षो से अधिक पूर्व में या 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकान निर्मित हो अर्थात केवल पुराने गृहों पर कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त गृह का नियमन के तहत पट्टा जारी किया जा सकता है न की खाली भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर खाली भूखण्ड, जिसमें प्रार्थी का हित निहित था, का पट्टा ग्राम पंचायत, ताखरावाली के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही के तहत जारी करवा लिया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या-1 का उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी कोई मकान निर्मित नहीं रहा तथा न ही वर्तमान में कब्जा है अपितु प्रश्नगत भूखण्ड आज भी खाली पड़ा है जिस पर कोई मकान आज दिनांक तक भी निर्मित नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी कब्जे के अंतराल के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 के प्रश्नगत भूखण्ड पर मकान निर्मित होने सम्बन्धी तथ्य की कोई जांच की गई जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 23 आदेश दिनांक 21.12.2019 विधिविरूद्व, नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा अन्य कई खाली भूखण्डो के भी नियम विरूद्व रूप से अपने चहेतों के नाम से नियमन कर भिन्न-भिन्न पट्टे जारी कर दिये गये है जिन्हें पृथक से निगरानी प्रस्तुत कर चुनौती दी जा रही है।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत खाली भूखण्ड का नियमन करवा पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 से सॉठ-गॉठ कर अपने पक्ष में मिथ्या तथ्यों के आधार पर जारी करवा लिया गया है जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अब अप्रार्थी संख्या 1 उक्त अहाता को आगे खुर्द-बुर्द करने का भरसक प्रयास कर रहा है। यही कारण निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को प्रयाप्त है।

6. यह कि निगरानीकर्ता का प्रश्नगत् अहाता पर कब्जा विगत् कई वर्षो से चला आ रहा था इस प्रकार प्रार्थी प्रश्नगत् भूखण्ड से हितबद्व पक्षकार है जो वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करने में सक्षम है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर खाली भूखण्ड का पट्टा अपने पक्ष में पुराना गृह निर्मित दर्शाकर जारी करवा लिया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है।

7. यह कि प्रार्थी प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिविरूद्व रूप से पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

संख्या 1 द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 02.05.2022 को प्रश्नगत भूखण्ड पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से अन्दर घुसने का प्रयास किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा जब विरोध किया गया तो अप्रार्थी 01 द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा दिनांक 21.12.2019 को पट्टा संख्या 23 जारी किये जाने का उल्लेख किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित पट्टा की प्रति ग्राम पंचायत से शीघ्र ही प्राप्त की गई। इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा विधि का ज्ञान न होने के कारण उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर , के समक्ष दिनांक 04.05.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जब प्रार्थी के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सादुलशहर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई तो प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अपने अधिवक्ता से दिनांक 21.10.2022 को सम्पर्क किया गया जिनके द्वारा उक्त विधि विरूद्ध पट्टा को विधिरनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती देने की विधिक राय प्रदान की गई जिसे अब प्रार्थी बिना किसी देरी के उक्त निगरानीधीन आदेश को जरिये निगरानी चुनौती दे रहा है जो देरी निगरानी प्रस्तुत करने में हुई है वह सद्भाविक है जो प्रार्थी द्वारा जानबूझकर नहीं की गई है जो न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत करने में देरी हुई है उसे क्षमा किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बिना अप्रार्थी संख्या 1 के पुराने कब्जे के सम्बन्ध में निर्मित मकान के होने सम्बन्धी तथ्यों की विधिवत् जांच किये, प्रश्नगत खाली भूखण्ड का पट्टा क्रमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 के रूप में नियमन के आधार पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के पक्ष में दिनांक 21.12.2019 को विधिविरूद्ध रूप से जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावें। अन्य कोई न्यायोचित आदेश, जो माननीय न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे, प्रदान किया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 सरंपच , ग्राम पंचायत ताखरावाली, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 21.12. 2019 को पट्टा क्रमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 को जारी किया गया है। प्रश्नगत अहाता के सम्बन्ध में कोई जांच कब्जे के सम्बन्ध में नहीं की गई, न ही निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का कभी भी उक्त प्रश्नगत अहाता पर कब्जा नहीं रहा है न ही वर्तमान समय में है। निगरानीकर्ता का उक्त अहाता पर कब्जा 30 वर्षो से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है, जो आज भी है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 144 से 160 की अनदेखी कर पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 विधि विरूद्व रूप से दिनांक 21.12.2019 को जारी को किया गया है। पट्टा में अंकित शर्त संख्या 1 के अनुसार आवंटी गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का लगभग 30 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा दर्शाया गया है जैसा कि राजस्थान पंचायत नियम 157(1) में अंकित किया गया है परन्तु उक्त अहाता पर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का कब्जा कभी नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है एव न ही उक्त अहाता पर कोई कमरा या घर गैर–निगरानीकर्ता संख्या 1 का निर्मित है। गैरनिगरानी कर्ता संख्या 02 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 से कब्जा के सम्बन्ध में कोई सबूत/साक्ष्य नही लिया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि गैरनिगरानीकर्ता का 30–35 वर्षो से कब्जा है एवं उक्त विवादित अहाता पर निर्माण किया हुआ हो। प्रश्नगत भूखण्ड का बिना प्रचलित दर के मूल्य का निर्धारण किये, पुराने कब्जे के आधार पर बिना गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने के सम्बन्ध में जांच किये, नियमन के आधर पर आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2019 द्वारा पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 जो, गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया, सर्वथा विधिविरूद्व है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 सरपंच, ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा निगरानी दर्ज प्रश्नगत पट्टा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध रूप से खाली भूखण्ड का व्यक्तिगत तौर पर बिना विशिष्ट कारण दर्शित किये, जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 जारी किये जाने के सम्बन्ध में विधिविरूद्व रूप से उसे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने हेतु की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताखरावाली के आदेश दिनांक 21.12.2019 पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 जो गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड से कोई लेना देना नहीं है एवं स्वामित्व भी नहीं है। गैरनिगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड पर 50–55 वर्षो से कब्जा था । निगरानीकर्ता का उक्त विवादित भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है केवल परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी पेश की गई है। सरपंच , ग्राम पंचायत ताखरावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगगानगर द्वारा पट्टा कमांक 23 भूखण्ड संख्या एच–10 के रूप में दिनांक 21.12.2019 पुराने कब्जे के आधार पर मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के कब्जे एवं गृह निर्मित होने की जांच कर नियमन के आधर पर जारी किया गया। उक्त पट्टा सरपंच, ग्राम पंचायत ताखरावाली द्वारा नियमो की पूर्ण पालना कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के प्रावधानों की पालना कर जारी किया गया। अतः निगरानीकर्ता की खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टो का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। सर्वप्रथम निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत हस्तगस निगरानी में आक्षेपित पट्टा सरपंच , ग्राम पंचायत ताखरावाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा खाली भूखण्ड का नियमन के आधार पर पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2019 को जारी किया गया है

रेसपोडेन्ट को जारी पट्टा विधिसम्मत् है अथवा नहीं इस सन्द्धर्भ में राज0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 का अवलोकन करना आवश्यक होगा।

उक्त नियम 157 निम्नप्रकार से है :–

157. पुराने गृहों का विनियमितिकरण :–जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृहहों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों वहां निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत पट्टाजारी किया जा सकेगा।

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु। 100/–रूपये

(ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/–रूपये

उक्त नियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल ऐसे मकान जो 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/–रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है एवंम इन नियमों के लागू होने की तिथि से 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतू 200/–रूपये जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड आज भी खाली पड़ा है। गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त भूखण्डों में किसी प्रकार का कोई निर्माण हुआ हो एवंम गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 द्वारा भी उक्त भूखण्डों के नियमन के समय ऐसा कोई दस्तावेज सम्बन्धित मिसल में शामिल नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त भूखण्ड पर निर्माण हुआ है।

चूंकि जैसा ऊपर विवेचन किया गया है कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 के कब्जे के उक्त भूखण्ड में कोई मकान निर्मित नहीं था । इस तथ्यों को छुपाकर अवैध रूप से पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2019 जारी करवाया गया है। अतः उक्त पट्टा कमांक संख्या 23, भूखण्ड संख्या एच–10 आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2019 को जारी है को निरस्त किया जाता है। निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर